औरैया पुलिस

प्रेस-नोट

दिनांकः-07.11.2025

थाना कोतवाली औरैया/एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत हुई 02 छिनैती की घटनाओं से सम्बन्धित 03 नफर अभियुक्तगण को 12 घंटे के अन्दर पुलिस मुठभेड में किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही- पुलिस अधीक्षक औरैया के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियो पर नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 07.11.2025 को थाना कोतवाली औरैया/एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली औरैया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 830/2025 धारा 304 बीएनएस व मु0अ0सं0 831/25 धारा 304 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 03 नफर अभियुक्तगण-01 भूपेन्द्र राजपूत 02.अल्तमश सिद्धकी उर्फ मुन्ना 03.सचिन जाटव को पुलिस मुठभेड़ के पश्चात गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर व 02 अदद मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त एक मोटर साईकिल बरामद की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 06.11.25 को थाना कोतवाली औरैया पर सूचना प्राप्त हुई कि एक मोटर साइकिल पर सवार 03 व्यक्तियों द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत 02 अलग-अलग स्थानों पर मोबाईल स्नैचिंग की गयी है। जिसमें प्रथम घटना शाम करीब 8:30 बजे की है जिसमें श्री अखिलेश गौतम पुत्र संतोष कुमार गौतम निवासी नारायणपुर थाना कोतवाली औरैया जो कि भोले मंदिर की तरफ अंडे लेने जा रहे थे तभी पीछे से एक मोटर साईकिल पर सवार तीन व्यक्ति झपट्टा मारकर उनका मोबाइल छीनकर भाग गये तथा द्वितीय घटना शाम करीब 9:30 बजे की है जिसमें श्री मनीष पुत्र मुन्नूलाल निवासी पढीन दरवाजा थाना कोतवाली औरैया जेसी चौराहे से जालौन चौराहे की तरफ आ रहे थे तभी उनके साथ मोबाईल स्नैचिंग की घटना हुई। उक्त घटनाओं पर थाना कोतवाली औरैया पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए प्राप्त तहरीरों के आधार पर अभियोग मु0अ0सं0 830/2025 धारा 304 बीएनएस व मु0अ0सं0 831/25 धारा 304 बीएनएस पंजीकृत किया गया। उच्चाधिकारियों द्वारा घटनाओं के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था जिसके क्रम में संयुक्त पुलिस टीम रात्रि,संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान जालौन चौराहे की तरफ बीबीएस स्मृति विधापीठ के पास मौजूद थी कि जालौन की तरफ से एक मोटर साइकिल पर सवार तीन संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिये जिन्हे रोकने का इशारा किया गया परन्तु पुलिस टीम को देखकर तेजी से मोटर साइकिल को मोड़कर भागने का प्रयास किया परन्तु मोटर साइकिल की गति तेज होने के कारण मोटर साइकिल फिसलकर गिर गयी जिस पर सवार तीनों व्यक्ति उछलकर झाडियों की तरफ गिर गये जिसमें से एक व्यक्ति (अल्तमश उर्फ मुन्ना) पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगा पुलिस टीम द्वारा सिखलाये हुए तरीके से अपना बचाव किया तथा टैक्टिकल हरकतो का इस्तेमाल करते हुए तीनों व्यक्तियों को पकड लिया गया। मोटर साईकिल तेज गति में होने कारण उस पर सवार तीनों व्यक्ति घायल हो गये थे जिन्हे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है पूछताछ एवं बरामदगी के आधार पर मुकद्दमा उपरोक्तों में धारा-317(2) की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

AURAIYA POLICE

गिरफ्तार अभियुक्तगण विवरण-

1-भूपेंद्र राजपूत पुत्र स्व0 प्रहलाद सिंह निवासी जनेतपुर थाना को0 औरैया जिला औरैया उम्र करीब 20 वर्ष

2-अल्तमश सिद्दकी उर्फ मुन्ना पुत्र अकमल निवासी दयालपुर थाना को0 औरैया जिला औरैया उम्र करीब 20 वर्ष

3-सचिन जाटव पुत्र स्व0 श्याम सुंदर निवासी भाऊपुर थाना को0 औरैया जनपद औरैया उम्र करीब 20 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 832/25 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 जनपद औरैया।

अपराधिक इतिहास

जानकारी की जा रही है

बरामदगी

01.दो अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय ((अल्तमश उर्फ मुन्ना व सचिन जाटव से बरामद)

02.एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

03. एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर

04.दो अदद मोबाइल फोन (छीने हुए)

05.घटना में प्रयुक्त एक मोटर साईकिल बरामद की गई।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

01.श्री राजकुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक कोतवाली औरैया।

02.श्री प्रशान्त सिंह प्रभारी स्वाट टीम।

03.श्री समित सिंह प्रभारी सर्विलांश टीम।

04.श्री राममनोज द्विवेदी उ0नि0 थाना कोतवाली औरैया मय हमराह।

05. म0उ0नि0 सोनी रावत थाना कोतवाली औरैया मय हमराह।

AURAIYA POLICE